

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रेलमारा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रवट कडा  
व भू.अ.नि. बने डिण्ड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा /नायब  
तहसीलदार रेलमारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पुंगु गारतेडा तहसील रेलमारा व  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या २६, ११५, ११६, ११७  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	<u>पुंगु गारतेडा</u>	<u>२६</u>	<u>पुंगु पुञ्ज रोक्ल पील</u>	<u>परता पुञ्ज रोक्ल पील</u>
०२	"	<u>११५</u>	do	do
०३	"	<u>११६</u>	do	do
०४	"	<u>११७</u>	do	do

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
रेलमारा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक:- 316

प्रतिलिपि -

दिनांक :- 10/10/25

- तहसीलदार रेलमारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
- प्रार्थी श्री परता को सूचनाार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

रेलमारा जिला

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

खसरा संख्या

72

78

79

कुल खसरे -

आवेदक की सू

आवेदक का नाम

तेलिपि सं. - 73

ऑक व समय - 0

02343925611

सूचना :-

AAKANSHA D

व समय - 01/N

1:00 PM

पालदार